

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

वाद अभिलेख संख्या-323/19-20 (V)/2020 (अन्तर्गत धारा-4(h)BLR Act,1950)

सूचना

यनाम्- अनाई आंझी

पिता नंदु आंझी

साठ टंक जोर

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मौजा- 16 ल जोर थाना नं०- 141 खाता नं०- 42 खेसरा नं०- 144 रकबा- 60 जी० से संबंधित आपके नाम से ह० नं०- के पंजी II भाग के पृष्ठ 64 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 20.3.20 को समय-11.00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-I भूमि बन्दोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदार रसीदों फार्म ड एंव सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एंव अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।
इसे सख्त ताकिद जानें।


तिथि :-

06/3/20
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर।

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अमिलेख वाद संख्या-322/19-20 (अ)

दिनांक	आदेश फलक	उपस्थिति
06.3.20	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के आदेश-2074/रड, दिनांक-13.09.2018 सह-पट्टित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा/म/निति-119/85/2308/रड, दिनांक-03.09.1995 एवं सह-पट्टित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रड, दिनांक-09.12.1998 में निहित बिहार के अनुदान में गैरमजकूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधिभू द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नलिखित विवरणी की भूमि -</p> <p>मौजा- <u>देवघाटा</u> धाना नं- <u>141</u> खाला संख्या- <u>42</u> प्लॉट संख्या- <u>144</u> रकबा- <u>60</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजकूआ खास, अनावाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाले की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-<u>II</u> के जिल्द संख्या- _____ के पृष्ठ संख्या- <u>64</u> पर जमाबंदी रैयत <u>अनाई प्रांजी पिपरा न-3 प्रांजी</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कौड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेख निजी तान एवं राज्य को हानि कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त नू-खण्ड से संबंधित मूल दरतावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुरोधित किया जाय।</p> <p>अमिलेख दिनांक- <u>20.3.20</u> को उपस्थापित करें।</p>	


 अंचल अधिकारी
 गोविन्दपुर

20.03.2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

(5)
20/3/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर